शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 सितम्बर 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका, राजनीतिक सहभागिता, सशक्तिकरण तथा बाधक तत्व : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

पूजा सिंह (शोधार्थी)
समाजशास्त्र विभाग
डीएसबी परिसर, कुमाऊं विश्वविद्यालय
नैनीताल, उत्तराखंड, भारत

शोध संक्षेप

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं द्वारा प्रतिनिधित्व के अवसरों की उपलब्धि उनके लिए राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्नमुख करता है। यह स्वाभाविक है कि पुरुष-प्रधान समाज में ग्रामीण महिलाओं को सक्रिय रुप से पंचायतो में भूमिका निभाने में कई व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न ग्राम पंचायतों के तथ्यपरक अध्ययनों से महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका में आ रहे परिवर्तनों के द्वारा उनकी राजनीतिक सहभागिता तथा महिला सशक्तिकरण की दशा व दिशा में नई प्रवृत्तियाँ उभर रही है। इन्हीं अनुभवात्मक परिवर्तनों एवं उन्नमुखताओं का इस प्रपत्र में निरुपण किया गया।

भूमिका

महिलाओं की भूमिका उनकी बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुरुप परिवर्तित होती है। विवाह पूर्व व विवाहोपरान्त की सामाजिक भूमिकाओं में किसी भी महिला को बदलती भूमिका प्रत्याशा के अनुकूल समायोजन करना पड़ता है। यदि शिक्षित व प्रशिक्षित हो कर किसी कार्य व व्यवसाय में संलग्न होती हैं तो उनकी भूमिका में एक नूतन आयाम जुड़ता है जो उस कार्य व व्यवसाय के उत्तरदायित्वों के निर्वहन से सम्बन्धित होता है। इस तरह महिलाओं की भूमिका परिवार की सामाजिक स्थिति, निजी क्षमता एवं कुशलता पर आधारित प्रतीत होती है।

महिलाओं की समय की मांग और आवश्यकताओं के अनुरुप विविध कौशल-विकास तथा रोजगार के अवसरों तक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पहुँच होने लगी है। इनसे आत्मविश्वास में वृद्धि के साथसाथ आत्मनिर्भरता के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। इनके प्रभावों से निर्णय क्षमता के विकास एवं राजनीतिक सत्ता सहभागिता के अवसर प्रजातान्त्रिक तरीको से महिलाओ को भी मिल रहे हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में देश एवं राज्य स्तर की प्रतिनिधित्व प्रणाली में महिलाओं का निरन्तर उत्तरोत्तर सहभागी होना उनके सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस तरह संसद, विधान सभा तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के रुप में अवसर महिलाओं को अधिक समर्थ बनाने की दिशा में अहम् स्थान रखते हैं। विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कम से कम 33% एवं अधिकतम 50% आरक्षण की सुविधा देकर महिला सशक्तिकरण की दशा व दिशा में परिवर्तन के सार्थक प्रयास किये गये हैं।

महिलाओं को समर्थ बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर विविध विकास के कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों की व्यापक परिधि में शैशव काल से लेकर वृद्धावस्था तक पोषण, संरक्षण एवं सत्ता व निर्णय में सहभागिता को सुनिश्चित करने के प्रयास किये गये हैं। इनके प्रति बढ़ती हुई जागरुकता तथा उनसे लाभान्वित होने की बढ़ती आकांक्षाआंे ने महिलाओं की स्थिति एवं भूमिकाओं में हो रहे परिवर्तन को गति प्रदान की है। महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका को इन्हीं विभिन्न कारकों के प्रभावों से परिवर्तित होने का तथ्यात्मक अध्ययन जागरुकता एवं सशक्तिकरण के रुप में किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र का अध्ययन क्षेत्र: उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल के जनपद ऊधम सिंह नगर में स्थित किच्छा तहसील हैं। किच्छा तहसील के ग्राम पंचायतों की कुल 222 महिला प्रतिनिधियों का चयन संगणना पद्धति के आधार से किया गया है। इनकी पंचायत में भूमिका राजनीतिक सहभागिता, सशक्तिकरण तथा बाधक तत्वों का संक्षिप्त तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है।

महिला प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि

इन महिला प्रतिनिधियों की सामान्य वैयक्तिक व सामाजिक पृष्ठभूमि संक्षेप में वर्णित है। इसमें आयु किसी भी प्रस्थिति का प्रारम्भिक द्योतक होता है। आयु एक जैवकीय तथ्य है, जो शारीरिक विकास एवं परिपक्वता की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से उनकी विभिन्न आयु समूहों में इन प्रतिनिधियों में अधिसंख्य 25 से 50 वर्ष (79.28%) हैं। इससे उनकी मानसिक, सामाजिक परिपक्वता व्यक्त होती है। इसी तरह धार्मिक प्रतिबद्धता की दृष्टि से बहुसंख्यक (72.97%) हिन्दू है। इसी तरह जाति से भी व्यक्ति की पहचान व्यक्त होती है। जाति व्यवस्था के बन्धन कमजोर हुए है एवं इसकी संरचना तथा प्रकार्यों में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। इन महिला प्रतिनिधियों में सामान्य (31.08%), पिछड़ी जाति (42.79%) एवं अनुसूचित जाति (26.13%) के है। इसी तरह परिवार की संरचना से व्यक्ति की स्थिति का बोध होता है। परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक इकाई है। बदलते परिवेश के अनुकूल एकाकी परिवार (56.76%) बहुसंख्यक है। इसी तरह शैक्षिक स्तर से भी व्यक्तियों की प्रस्थिति निर्धारित होती है।शिक्षा सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता का एक प्रभावशाली माध्यम है। शिक्षा आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण साधन भी है। डूयूवर्जर के अनुसार "महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है।"1 निर्वाचित ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों में अधिसंख्यक (88.74%) शिक्षित हैं। इसी तरह व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति के सूचक में मासिक आय महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज की सामाजिक संरचना में परिवार की प्रस्थिति निर्धारण हेतु परिवार की आय महत्वपूर्ण योगदान देती है। अधिकांश ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों की मासिक आय 15 हजार रुपये तक सीमित है। इस तरह निम्न मध्यवर्गी प्रस्थिति की बहुलता है। आजीविका से समाज में व्यक्ति व उसके परिवार की प्रस्थिति का निर्धारण होता है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के परिवार की आजीविका का मुख्य साधन कृषि (38.29%) व मजदूरी (31.08%) है।

अवधारणात्मक विश्लेषण

भारतीय समाज में महिलाओं (विशेषकर ग्रामीण) की सामान्य स्थिति उन्हें विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय सहभागी होने में उस तरह की स्वतन्त्र एवं निर्बाध अवसर नहीं प्रदान करती

हैं जिस तरह के अवसर सार्थक व सफल भूमिका निर्वहन के लिए अपेक्षित है। विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है परिवार के आकार में, शिक्षा व रोजगार के अवसरों में परिवर्तन के साथ-साथ पूर्वापेक्षा ग्रामीण महिलाओं को वैधानिक रुप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के अवसर प्राप्त हो रहे है। यद्यपि अधिकांश स्थितियों में पंचायती प्रतिनिधि के रुप में महिलाओं की भूमिका इस रुप में परिसीमित हो जाती है कि औपचारिक प्रतिनिधि होने के बावजूद वास्तविक अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन में परिवार व समाज के अन्य पुरुषों का हस्तक्षेप रहता है। यह एक विडम्बना है कि पुरुष-प्रधान पारम्परिक समाज में जमीनी स्तर पर प्रजातान्त्रिक मूल्यों एवं तदनुकूल कार्यान्वयन में असन्तुलन बना रहा, जो कि महिलाओं की स्थिति में अधिक प्रभावी भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की वजह से संवैधानिक व्यवस्था उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करने, समान रुप से आगे बढ़ने के अवसरों को उपलब्ध करने के उद्देश्य से बनायी गई।

प्रस्तुत प्रपत्र में निहित समाजशास्त्रीय अध्ययन में विभिन्न कारकों को प्रकाशित किया गया है, जो मूलतः महिलाओं के सामाजीकरण, पालन-पोषण शिक्षा-दीक्षा आदि में भेदभाव पूर्ण प्रथाओं व प्रक्रियाओं से जुड़े हुए है। ऐसी लैंगिक असमानतापूर्ण निहित व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने एवं प्रतिनिधित्व करने के संवैधानिक प्रावधान उन्हें पारम्परिक व आधुनिक भूमिका-प्रत्याशाओं के अन्तर्विरोधों का सामना करने का अवसर प्रदान करता है। मुख्यतः परिवार में दायित्व निर्वहन महिलाओं को सामान्यतः परिवार के बाहर कार्यों के निर्वहन में अवरोध उत्पन्न करता है। इन दोनों दायित्व निर्वहनों के सामंजस्य बनाते हुए ग्रामीण महिलाओं को विषम मनोवैज्ञानिक असमंजस में डाल देता है, जिससे प्राथमिकता एवं वरीयता का निर्धारण दुष्कर हो जाता है। इन सभी से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत है।

निर्वाचनोपरान्त भूमिका सशक्त

पंचायत प्रतिनिधि चुने जाने के पश्चात् समाज में कुछ अपेक्षाएं रखी जाती हैं जिसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता होती है। उसे पूरा करना उनका उत्तरदायित्व होता है। जो पद मिलता है उसे जिम्मेदारी एवं ईमानदारी के साथ निभाना पड़ता है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचित होने के बाद भूमिका और अधिक सशक्त होने के अपेक्षा रहती है। इस संबंध में शत-प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने अपनी भूमिका सशक्त होने को महत्वपूर्ण माना है। इससे व्यक्त होता है कि ग्रामीण महिलाओं की भूमिका पूर्वापेक्षा सशक्त हुई है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपाय

पंचायती व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों की स्थिति में सुधार हेतु अनेक उपायों को सुझाया गया है। प्रशिक्षण के माध्यम से, घरेल उद्यम, स्वरोजगार तथा अन्य विविध उपायों को यथेष्ट रूप से स्वीकार कार्यान्वित करने से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार संभव है। इनसे सम्बन्धित तथ्यों का विवरण दर्शाया गया है :

ग्राफ संख्या 1

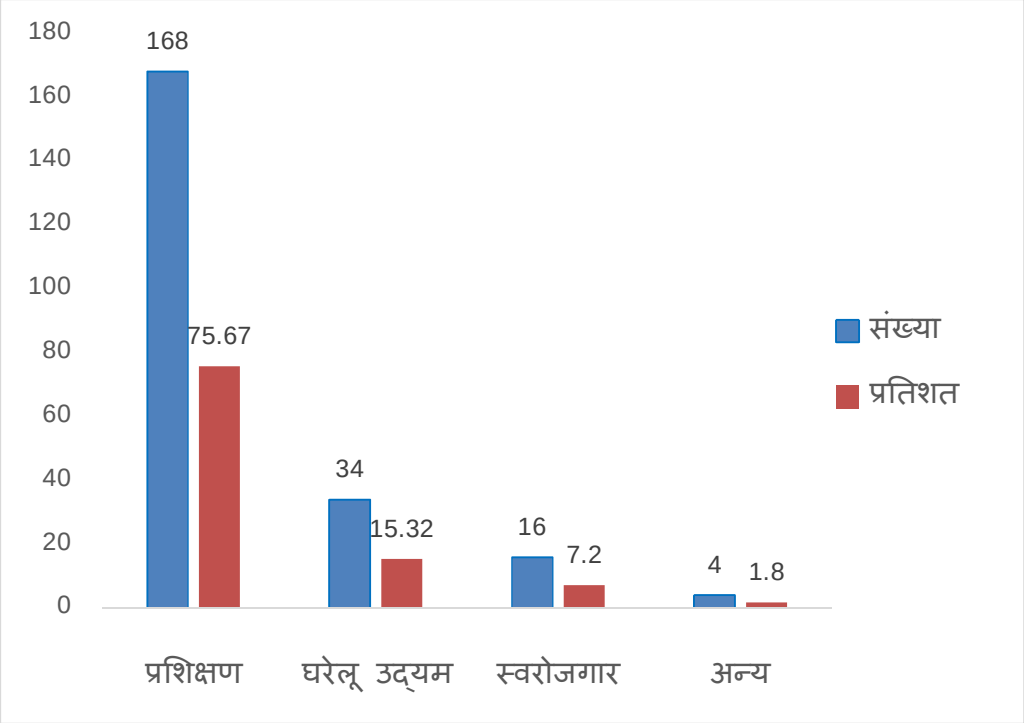

अधिकांश (75.68%) पंचायत प्रतिनिधि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रशिक्षण का विशेष योगदान मानती हैं। प्रशिक्षण कई रूपों में जागरूक कर व्यावहारिक जानकारी भी देता है। इसके प्रभाव से महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रबल सम्भावना रहती है।

विकास व सशक्तिकरण में कालयापन

पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पंचायत कार्यों को करने में अपना महत्वपूर्ण समय दे रही हैं। विकास व सशक्तिकरण के संदर्भ में ग्रामीण महिलाओं से जो अपेक्षा की जाती है सार्थक होते दिखाई दे रहा है। पंचायत से सम्बन्धित कार्यों में सक्रिय होने से उनके विकास के साथ ही सशक्त होने की सम्भावना बढ़ेगी। इससे सम्बन्धित तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है :

ग्राफ संख्या 2 विकास व सशक्तिकरण में कालयापन

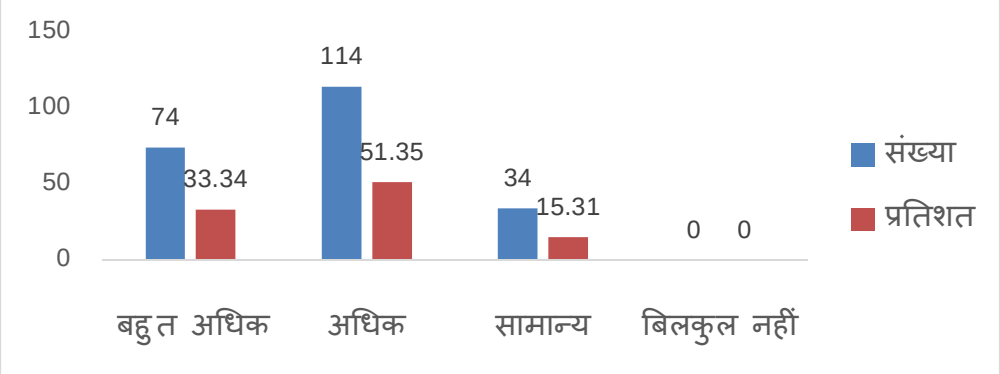

अधिकांश (51.35%, 33.34%) महिला प्रतिनिधिविकास एवं सशक्तिकरण से सम्बन्धित कार्यक्रम में अधिक समय दे रही है। इससे व्यक्त होता है कि महिलाएँ अपने कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियों के प्रति जागरुक हो रही है। वे अपने समय का सद्पयोग विकास के कार्यों में कर रही हैं, जिससे उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

कार्यक्रम संचालन में प्रशासन का सहयोग

पंचायत की महिला प्रतिनिधियों में भी अपने कार्यक्षेत्र में कार्यक्रम संचालन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग लेकर अपने क्षेत्र का विकास करने की प्रवृत्ति होती है। महिलाएँ कार्यक्रम के संचालन हेतु आने वाली समस्याओं का निराकरण कर्मचारियों के निर्देश में करा रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि कार्यक्रम से सम्बन्धित वित्तीय तथा प्रशासनिक निर्णय स्थानीय प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। इससे सम्बन्धित तथ्यात्मक विश्लेषण अपेक्षित है :

सारणी संख्या 1 कार्यक्रम संचालन में प्रशासन का सहयोग

क्र.सं	**सहयोग का रुप**	**संख्या**	**प्रतिशत**
1.	हमेशा	199	89.64
2	कभी-कभी	33	10.36
3.	कभी-नहीं	-	-
	योग	222	100

उपर्युक्त सारणी विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (89.64%) उत्तरदात्रियाँ अपने कार्य क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के संचालन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हमेशा सहयोग लेती हैं। इससे व्यक्त होता है कि कार्यक्रम के प्रति जागरुकता बढ़ रही है एवं प्रशासनिक सहयोग की अनिवार्यता समझी जा रही है।

महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन: पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया में जागरुकता बढ़ी है। जैसे-जैसे स्त्री शिक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता, सामाजिक जागरुकता तथा स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है वैसे-वैसे उनकी स्थिति में बदलाव हो रहा है। आर्थिक स्वतन्त्रता में वृद्धि होने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। राजनीतिक चेतना के कारण राजनीतिक क्षेत्र में बढ़चढ़कर भाग ले रही है। इससे सामाजिक चेतना भी बढ़ रही है। इन परिवर्तनों को तथ्यात्मक रूप से विश्लेषित करना समीचीन है :

सारणी संख्या 2 : महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन

क्र.सं.	**प्रभाव के स्वरुप**	**वरीयता क्रम**					
		प्रथम		**द्वीतीय**		**तृतीय**	
		संख्या	**%**	**संख्या**	**%**	**संख्या**	%
1.	स्त्री शिक्षा में वृद्धि	129	58.11	52	23.42	36	16.22
2	स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता में वृद्धि	35	15.76	80	36.04	58	26.13

3.	स्त्रियों की सामाजिक जागरुकता में वृद्धि	50	22.52	65	29.28	76	34.23
4.	स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में वृद्धि	8	3.60	25	11.26	52	23.42
	योग	222	100	222	100	222	100

उपर्युक्त सारणी विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (58.11%) पंचायत प्रतिनिधियों ने शिक्षा में वृद्धि को प्रथम वरीयता दी है। इससे व्यक्त होता है कि महिलाओं की स्थिति में बदलाव आ रहा है। एक तिहाई से अधिक महिला प्रतिनिधियों ने स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता में वृद्धि को तृतीय वरीयता दी है। महिला प्रतिनिधित्व व सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका: पंचायती राज के माध्यम से महिला नेतृत्व की सफलता के बारे में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी यू.एन.पी.ए. ने अपनी रिपोर्ट में भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण के फलस्वरुप महिलाओं में उपजी राजनीतिक चेतना की सराहना की है और आगे कहा है कि सभी राज्यों में पंचायतों के माध्यम से महिलाएँ नये उत्साह और स्फूर्ति के साथ विकास में योगदान दे रही हैं।"2

पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अनेक सुविधाएँ, विकास से सम्बन्धित योजनाएँ आरक्षण की व्यवस्था व सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु अनेक अधिनियम बनाये गये हैं। इससे महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कई अधिकार देकर सशक्तिकरण में पंचायत की अहम् भूमिका व्यक्त होती है। समानता के अवसरों को ग्रामीण महिलाओं को उपलब्ध कराने के लिए पंचायत के द्वारा किये जा रहे प्रयासों से कई महत्वपूर्ण पहल किये गये है। जिनसे उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। इनसे सम्बन्धित तथ्य निम्नलिखित ग्राफ द्वारा प्रस्तुत है :

ग्राफ संख्या 03 : महिला प्रतिनिधित्व व सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका

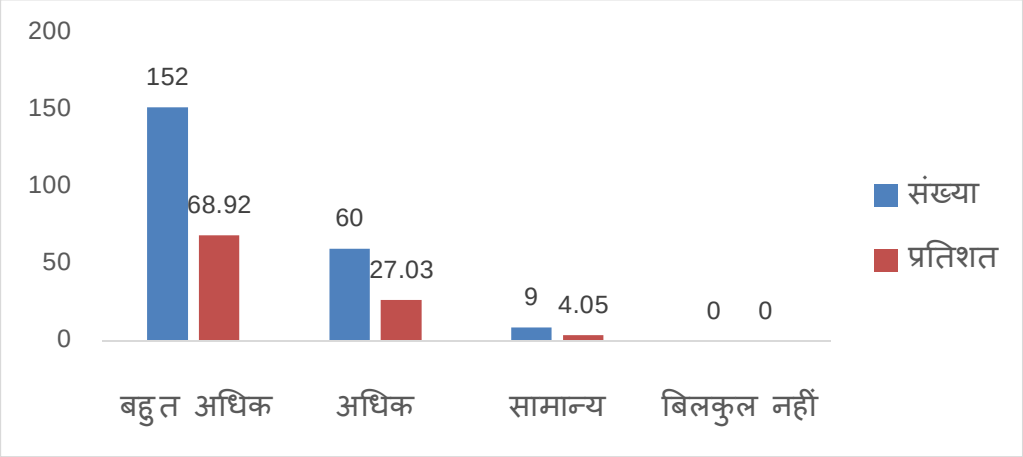

अधिकांश (68.92%) महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व व सशक्तिकरण को बढ़ाने में पंचायत की बहुत अधिक भूमिका रही है। इससे व्यक्त होता है कि राजनीतिक

प्रतिनिधित्व पाने में ग्रामीण महिलाएँ पंचायती व्यवस्था को श्रेय देती है। इससे ही उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जाता है जिससे उन्हें समर्थ बनाता है।

महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण स्थिति

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में पंचायती राज व्यवस्था की अहम् भूमिका रही है। पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की राजनीति में रुचि जागृत हुई। महिला सशक्तिकरण के मुख्य बिन्दु है आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता एवं उच्च शैक्षिक स्तर इत्यादि। इनके समुचित रूप से सार्थक होने पर ही महिलाओं के सशक्तिकरण की सफलताओं पर निर्भर करती है। अध्ययन क्षेत्र से संग्रहीत तथ्यों का विश्लेषण आयामी रुप से प्रस्तुत किया है :

ग्राफ संख्या 04 : महिला सशक्तिकरण के कारक

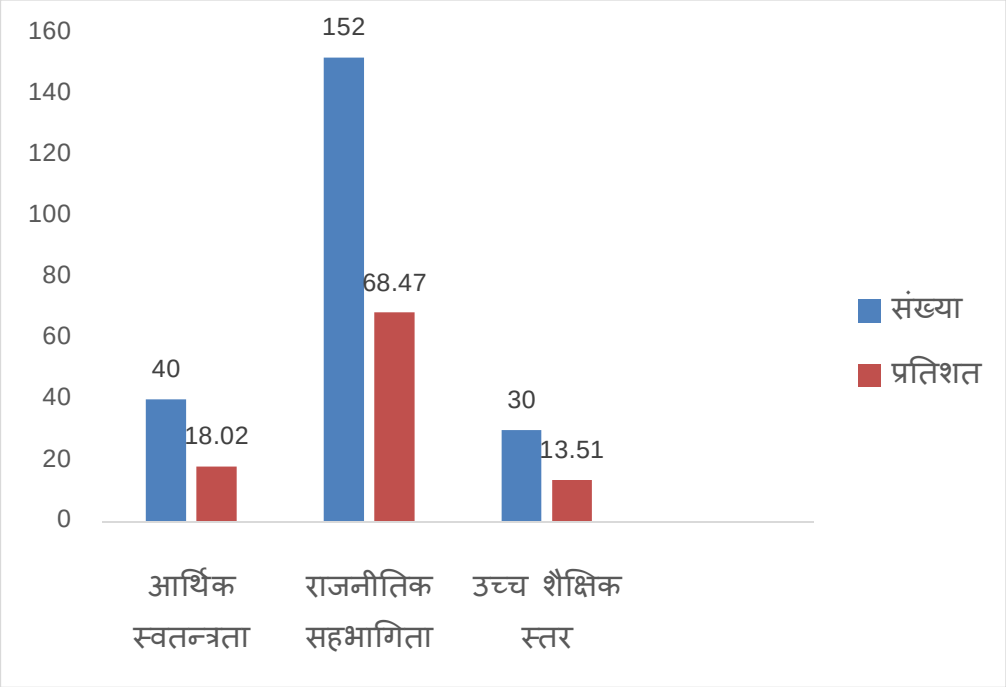

अधिकांश (68.47%) महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि राजनीतिक, सहभागिता महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके द्वारा ही महिलाओं को सक्षम बनने के अवसर उपलब्ध हो पाते है। क्योंकि इससे ही अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर महिलाएँ सशक्तिकरण को सार्थक बना पाती है।

निर्वाचनोपरान्त पारिवारिक दायित्वों के कारण पंचायती कार्यों के निर्वहन में बाधा:ग्रामीण महिला पंचायत प्रतिनिधि चुने जाने के पश्चात् महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथसाथ पंचायती कार्यों को पूर्ण रूप से करने में कठिनाइयों का सामना करना होता है। वे पारिवारिक सहयोग की कमी महसूस करती है, परिवार के क्षेत्र से बाहर निकलकर प्रतिनिधि की भूमिका निर्वहन आरम्भ में एवं समायोजित करने में संकोची प्रवृत्ति एक बाधा हो सकती है। अध्ययन क्षेत्र में इसके प्रति संवेदनशीलता होने की सामान्य सूचनाओं का तथ्यात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (96.85%) निर्वाचनोपरान्त

महिला प्रतिनिधि होने के बाद पारिवारिक दायित्वों को निभाने की भी विवशता पंचायत कार्य-क्षेत्र के कार्यों को करने में अवरोध के रूप में माना है, क्योंकि दोनों दायित्वों के निर्वहन में प्राथमिकता का निर्णय असमंजस की स्थिति में डाल देता है।

कार्य सम्पादन में शिक्षित होने का प्रभाव: महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति शिक्षा से पैदा होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को जानकर उनका प्रतिकार करने योग्य बन सकते हैं। शिक्षा और जागरुकता के बढ़ने पर ही महिलाएँ कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।"3

शिक्षित महिलाएँ कार्य सम्पादन में अपनी क्षमता तथा योग्यता का भी प्रदर्शन करें ऐसी उम्मीद की जाती है। अधिकांश (96.85%) महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि शिक्षित महिला पंचायत प्रतिनिधि होने से पंचायती कार्यों के सम्पादन में सकारात्मक प्रदर्शन सम्भव है। इससे व्यक्त होता है कि शिक्षित महिलाएँ अपने को अशिक्षितों की तुलना में कार्य क्षेत्र में अधिक सक्षम महसूस करती है।

कार्य क्षेत्र में समस्या: महिला प्रतिनिधियों कार्य क्षेत्र में अपने दायित्वों को निभाने में कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इससे सम्बन्धित समस्याओं के मुख्य स्वरुप इस प्रकार हो सकते है : बोलने में संकोच करना, पुरुष सदस्यों से समर्थन की कमी महसूस करना, सदस्यों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करना, सरकारी हस्तक्षेप, सामंजस्य का अभाव एवं शक्तिशाली या समाज विरोधी व्यक्तियों दबाव इत्यादि। इनके सम्बन्ध में महिला प्रतिनिधियों के अभिमतों को वरीयता के आधार पर जानने के प्रयास हुए जिनका तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत है :

सारणी संख्या 03:कार्य क्षेत्र में समस्या

क्र.सं	समस्या के स्वरूप	वरीयता क्रम					
		प्रथम		द्वितीय		तृतीय	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1.	बोलने में संकोच	110	49.55	7	3.15	8	3.60
2.	पुरुष सदस्यों से समर्थन की कमी	40	18.02	48	21.62	12	5.40
3	सदस्यों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग	4	1.80	23	10.36	13	5.86
4	सहकारी हस्तक्षेप	33	14.86	16	7.21	24	10.81
5.	सामंजस्य का अभाव	23	10.36	97	43.69	54	24.32
6.	शक्तिशाली/समाज विरोधी व्यक्तियों का दबाव	12	5.41	31	13.96	11	50.00
	योग	222	100	222	100	222	100

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (49.55%) महिला प्रतिनिधियों ने समस्या के रूप में बोलने में संकोच होने को प्रथम वरीयता दी है। अन्य काफी (43.69%) उत्तरदात्रियाँ समस्याओं में सामन्जस्य के अभाव को द्वितीय वरीयता एवं आधी (50.00%) उत्तरदात्रियों ने शक्तिशाली या समाज विरोधी व्यक्तियों के दबाव को तृतीय वरीयता दी है। इनसे व्यक्त होता है कि स्त्रियों के संकोची स्वभाव के साथ-साथ घरेलू व बाहरी दायित्वों के सामंजस्य के परेशानी के प्रभावशाली अभिजनों के दबाव को समस्याओं के रुप में चिन्हित किया जा सकती है।

प्रशासन का रवैया

पंचायत महिला प्रतिनिधियों के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवहार जिस प्रकार की अपेक्षा की जाती है, उस प्रकार सामान्यतः नहीं होता है। ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों को पंचायत के कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना होता है जिसके पश्चात् कार्यक्षेत्र में क्रियान्वित करवाना होता है। इससे सम्बन्धित तथ्यात्मक विवेचन निम्न रूप से प्रस्तुत है :

ग्राफ संख्या 05 : प्रशासन का रवैया

अधिकांश (81.39%) महिला प्रतिनिधियों ने मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया सामान्य होता है। यह उस स्थिति को जाहिर करता है कि अधिकारियों का व्यवहार अपेक्षानुकूल सहयोग पूर्ण नहीं है। सम्भवतः महिला प्रतिनिधियों को किसी रूप में उनकी स्थिति के कारण अधिक सहयोग नहीं मिलता है।

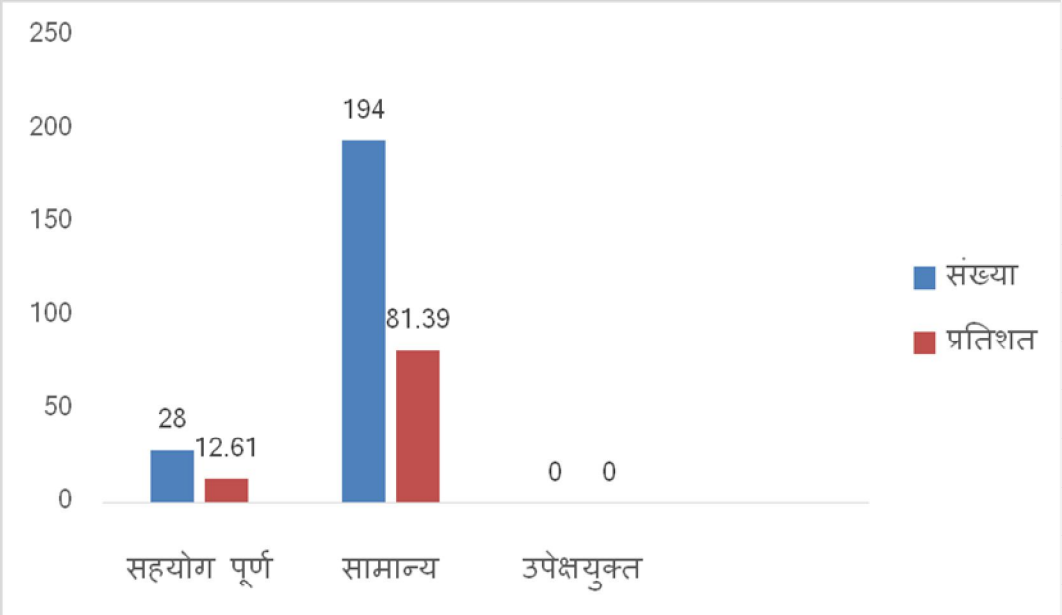

कार्यशाला में सहभागिता

कार्यशाला में पंचायत महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता को बढ़ाने में राजनीतिक जागरूकता का महत्वपूर्ण स्थान है। उनमें अपने पंचायती पद की भूमिका को निभाने के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही पंचायती राज के नेतृत्व से भी महिलाओं में कार्यशाला आयोजन में भाग लेने की

प्रवृत्ति बढ़ी है। पंचायत से जुड़े नियमों व कार्यक्रमों की सही जानकारी कार्यशालाओं द्वारा मिलने के कारण सहभागिता बढ़ना अपेक्षित है।

महिला प्रतिनिधि सशक्तिकरण के बाधक कारक

विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि महिला प्रतिनिधि पंचायती कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, परन्तु कभी-कभी उनकी मानसिक विचारधारा उनके कार्य-क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करती है। महिला प्रतिनिधि के सशक्तिकरण में बाधक कारक के मुख्य बिन्दु हैं : पंचायत से सम्बन्धित जानकारियों की कमी, अशिक्षित होना, जागरूकता की कमी, क्षमताओं का अभाव, सूचनाओं का अभाव, सहभागिता का अभाव, पुरुषों का अत्यधिक हस्तक्षेप। इन बाधक कारकों को तथ्यात्मक रुप से विश्लेषित करना समीचीन है :

सारणी संख्या 04: महिला प्रतिनिधि सशक्तिकरण के बाधक कारक

क्र.सं	बाधक कारक के स्वरुप	वरीयता क्रम					
		प्रथम		द्वितीय		तृतीय	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1.	पंचायत से सम्बन्धित जानकारियों का अभाव	11	4.95	25	11.26	52	23.42
2.	अशिक्षित होना	188	84.68	29	13.06	5	2.25
3	जागरुकता की कमी	17	7.66	151	68.02	27	12.16
4	क्षमताओं का अभाव	-	-	-	-	8	3.60
5.	सूचनाओं का अभाव	2	0.90	3	1.35	12	5.41
6.	सहभागिता का अभाव	4	1.80	14	6.31	114	51.35
7.	पुरुषों का अत्यधिक हस्तक्षेप	-	-	-	-	4	1.80
	योग	222	100	222	100	222	100

उपर्युक्त सारणी विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (84.68%) महिला प्रतिनिधियों का मानना है अशिक्षित होने प्रमुख बाधा के रुप में प्रथम वरीयता दी है। अन्य काफी (68.02%) महिला प्रतिनिधियों ने जागरूकता की कमी को द्वितीय वरीयता एवं आधी (51.35%) महिला प्रतिनिधियों ने पूर्ण रूप से सहभागिता का अभाव को महसूस करती हुई तृतीय वरीयता दी है। इससे स्पष्ट होता है कि पर्याप्त शिक्षा की कमी महिला प्रतिनिधियों की जागरुकता एवं सहभागिता को प्रभावित करती है इसके कारण वे अपने पद के अनुकूल अपने दायित्वों के पूर्ण निर्वहन में समर्थ नहीं हो पाती हैं।

सशक्तिकरण में जनसमर्थन के अभाव की अभिमति

पंचायत महिला प्रतिनिधियों को जनसमर्थन की जो अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा का अभाव होने के कारण पंचायती राज से सशक्तिकरण कम हो पा रहा है। जनसमर्थन व पंचायतीराज के सहयोग से ही ग्रामीण विकास कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। इससे महिलाओं में वास्तविक रूप से सशक्तिकरण की सम्भावना

बढ़ेगी, लेकिन तत्थात्मक विवरण द्वारा स्पष्ट होता है कि 98.65% पंचायती राज में जनसमर्थन का अभाव व्याप्त है।

महिला प्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षित कार्य-अपूर्णता के कारण

महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकने की कुछ बाधाएँ समाज में व्याप्त हैं। महिला जनप्रतिनिधियों से जो पंचायती कार्यों की अपेक्षा की जाती है, उनकी अपूर्णता के कारणों के मुख्य बिन्दु हैं : रुढ़िवादी दृष्टिकोण, शक्तियों एवं अधिकारों का अभाव, कार्य सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव, आत्मविश्वास की कमी, निरक्षर पृष्ठभूमि एवं महिलाओं को अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसके सम्बन्ध में महिला प्रतिनिधियों के अभिमतों को वरीयता क्रम के आधार पर जानने का प्रयास हुए जिनका तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत हैं :

सारणी संख्या 5 : महिला प्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षित कार्य अपूर्णता के कारण वरीयता

क्र.सं	प्रमुख कारण	वरीयता क्रम					
		प्रथम		द्वितीय		तृतीय	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1.	रुढ़िवादी दृष्टिकोण	12	5.41	14	6.30	161	75.52
2.	शक्तियों एवं अधिकारों का अभाव	5	2.25	5	2.25	9	4.05
3	कार्यों सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव	2	0.90	3	1.35	20	9.00
4	आत्मविश्वास की कमी	31	13.96	166	74.78	19	8.56
5.	निरक्षर पृष्ठभूमि	172	77.48	34	15.32	13	5.86
	योग	222	100	222	100	222	100

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपने कार्य पूरा न करने में अधिकांश (77.78%) महिला प्रतिनिधियों ने निरक्षर पृष्ठभूमि को प्रथम वरीयता दी है। इसी तरह अधिकांश (74.48%) महिला प्रतिनिधियों ने आत्मविश्वास की कमी को द्वितीय वरीयता एवं अधिकांश (75.52%) महिला प्रतिनिधियों ने रुढ़िवादी दृष्टिकोण को तृतीय वरीयता दी है।

इस प्रकार कह सकते हैं कि महिला प्रतिनिधियों को पंचायती कार्यों को पूर्ण करने में ये बाधाएँ उद्देश्यों को पूरा होने से रोकती है।

विवेचन

इस शोध प्रपत्र में जिन कारकों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है उसका संक्षिप्त विवेचन किया जाना समीचीन है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका, राजनीतिक सहभागिता, सशक्तिकरण तथा बाधक तत्वों के संदर्भ में यह पाया गया कि निर्वाचनोपरान्त महिला प्रतिनिधियों की भूमिका पूर्वापेक्षा सशक्त हुई है। 75.68% पंचायत प्रतिनिधि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रशिक्षण का विशेष योगदान मानती हैं। प्रशिक्षण कई रूपों में जागरूक कर व्यावहारिक जानकारी भी देता है। अधिकांश

(51.35%, 35.34%) महिला प्रतिनिधि विकास व सशक्तिकरण में से सम्बन्धित कार्यक्रमों में अधिक समय दे रही हैं। जिससे समय का सदुपयोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 89.64% महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम संचालन में प्रशासन का सहयोग लिया है, जिससे कार्यक्रम के प्रति जागरुकता बढ़ रही है तथा प्रशासनिक सहयोग को अनिवार्य समझ रही है। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने में 58.11% पंचायत प्रतिनिधियों ने शिक्षा में वृद्धि को प्रथम वरीयता दी। महिलाओं को राजनीतिक प्रतिधित्व व सशक्तिकरण बढ़ाने में पंचायत की 68.92% बहुत अधिक भूमिका रही राजनीतिक प्रतिनिधित्व को उत्पन्न करने में पंचायती व्यवस्था का श्रेय देती है। अधिकांश 68.47% महिला प्रतिनिधियों ने राजनीतिक सहभागिता को महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति मानी है। 96.85% महिला प्रतिनिधियों ने कार्य सम्पादन में शिक्षित होने के कारण प्रभाव सकारात्मक रूप से दृष्टिगोचर होता है। महिला प्रतिनिधियों को कार्य क्षेत्र में समस्याओं के संदर्भ में: बोलने में संकोच प्रथम वरीयता, सामंजस्य का अभाव द्वितीय वरीयता व शक्तिशाली या समाज विरोधी व्यक्तियों के दबाव को तृतीय वरीयता दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया अधिकांशतः (81.39%) सामान्य है। पंचायती राज के नेतृत्व से महिलाओं में कार्यशाला आयोजन में भाग लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है। महिला प्रतिनिधि सशक्तिकरण के बाधक कारक अशिक्षित होना प्रथम वरीयता, जागरुकता की कमी द्वितीय वरीयता, व पूर्ण रुप से सहभागिता का अभाव तृतीय वरीयता दी गई है। 98.65% का अभिमत है कि पंचायती राज में जनसमर्थन का अभाव व्याप्त है। महिला प्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षित कार्य अपूर्णता के कारण 77.78% निरक्षर पृष्ठभूमि को प्रथम वरीयता 74.48% आत्मविश्वास की कमी द्वितीय वरीयता व 75.52%, रुढ़िवादी दृष्टिकोण को तृतीय वरीयता दी गई है। महिला प्रतिनिधियों के पंचायती कार्यों में आने वाली बाधाएँ उद्देश्य को पूरा करने से रोकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

1. ड्यूवर्जर: 1968, इन्टरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, मैक्मिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क, पृष्ठ 250.

2. बिमल, आनन्द सिंह कोडान व सिंह नरेन्द्र: 2010, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ 14.

3. देवपुरा, प्रतापमल: 2010, आर्थिक स्वावलंबन से होंगी महिलाएँ सशक्त, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ 16.